



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय-भवन
इन्दौर-452001

क.सं.वि.क./रैगिंग रोकथाम समिति/2023-24/487


दिनांक :- 26 SEP 2023

// अधिसूचना //

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 402/264/83/आउशि/शाखा-5 'अ'/2014 भोपाल, दिनांक 27 मई 2015 के अनुपालन में एवं प्रति वर्षानुसार रैगिंग पर अंकुश लगाने हेतु निम्नानुसार विश्वविद्यालय स्तरीय एन्टी रैगिंग समिति का गठन किया जाता है -


- 1/ डॉ. राजीव दीक्षित, - सदस्य
निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद, दे.अ.वि.वि., इन्दौर
- 2/ डॉ. आशीष पाठक, - सदस्य
प्राध्यापक, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय
कला एवं वाणिज्य महा., इन्दौर
- 3/ डॉ. माया इंगले, - सदस्य
निदेशक, डी.डी.यू.के.के दे.अ.वि.वि., इन्दौर
- 4/ सुश्री. रचना ठाकुर, - सदस्य
उपकुलसचिव, प्रशासन, दे.अ.वि.वि. इन्दौर
- 5/ डॉ. लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, - संयोजक
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, दे.अ.वि.वि., इन्दौर

नोट :- उक्त अधिसूचना को सूचना पटल पर चस्पा कर समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित करें।
आदेशानुसार


कुलसचिव

पृष्ठा.क.सं.वि.क./रैगिंग रोकथाम समिति/2022-23/487 दिनांक :- 26 SEP 2023

- 1/ आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, सतपूजा भवन, भोपाल (म.प्र.)।
- 2/ अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, इन्दौर संभाग, मोती तबेला, इन्दौर।
- 3/ उक्त समस्त संबंधित सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
- 4/ कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दे.अ.वि.वि., इन्दौर।
- 5/ प्राचार्य/निदेशक/संचालक, वि.वि. से संबद्ध समस्त महाविद्यालय/विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययनशालाएँ, दे.अ.वि.वि., इन्दौर।
- 6/ आई.टी. सेन्टर, वि.वि. की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत।


अधिष्ठाता, छात्र कल्याण